न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 176 / 2024 **जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2024 / 378**
दायर दिनांक :– 30.10.2024 **निर्णय दिनांक :– 22.12.2024**

1. चंदा देवी भूतड़ा पत्नी श्यामसुन्दर भूतड़ा जाति महेश्वरी निवासी बाप तह. बाप जिला फलोदी

वादी..........

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी (राज.)

प्रतिवादी.....

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :–1. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता वादी

2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

–:: निर्णय ::–

वादी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का इस आश्य से पेश किया कि वादिनी की खरीदसुदा खातेदारी अधिकरों की काश्त भूमि खसरा नम्बर 1007 / 3 रकबा 9.9148 हैक्टेयर 1 / 2 हिस्सा सरहद मौजा श्रीशक्तिनगर पटवार हल्का कानसिंह की सिड तहसील बाप में स्थित है। वादग्रस्त भूमि जरिये पंजीबद्व विक्रय पत्र के वादिनी ने खरीद की थी जिसमें वादी का बचपन का एवं बोलता नाम चन्द्रकला पत्नी श्यामसुन्दर टंकित किया हुआ है। उक्त विक्रय पत्र के आधार पर खरीद अनुसार वादिनी के पक्ष में नामान्तरकरण भी जाकर स्वीकृत हो चुका है। लेकिन वादिनी का सही एवं वास्तविक नाम चन्दा देवी भूतड़ा पत्नी श्याम सुन्दर भूतड़ा है इसी नाम से ही वादिनी के पहचान संबंधित दस्तावेज राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि बने हुवे है तथा वादिनी को इसी नाम से जाना व पहचाना जाता है। वर्तमान राजस्व अभिलेख में वादिनी का नाम चन्द्रकला पत्नी श्यामसुन्दर दर्ज होने से वादिनी को के.सी.सी ऋण प्राप्त करने व अन्य कृषि संबंधित कार्य करने में भंयकर समस्याओं का सामना पड़ रहा है। वादिनी ने दिनांक 15.10.2024 को अपना नाम सही करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रतिवादी के समक्ष प्रस्तुत किया तो प्रतिवादी ने वादिनी का नाम राजस्व रेकर्ड में दुरूस्त करने से मना कर दिया तथा समक्ष न्यायालय में चाराजोही करने को कहा, इसलिये वादिनी ग्राम श्रीशक्तिनगर के उपरोक्त वर्णित खसरान् में दर्ज अपने गलत नाम चन्द्रकला पत्नी श्यामसुन्दर के स्थान पर अपने सही एवं वास्तविक नाम चन्दा देवी भूतड़ा पत्नी श्याम सुन्दर भूतड़ा के नाम खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने की अधिकारिणी है। जिसका यह दावा पेश है।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार बाप ने जवाब पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। तहसीलदार बाप ने जवाब में कथन किया कि वादिनी चन्दा देवी भूतड़ा पत्नी श्यामसुन्दर भूतड़ा का राजस्व रेकर्ड में चन्द्रकला पत्नी श्यामसुन्दर दर्ज है तथा इनके

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

पहचान के दस्तावेज में नाम चन्दा देवी भूतड़ा पत्नी श्यामसुन्दर भूतड़ा दर्ज है वादिनी को साक्ष्य सुनवाई का अवसर देकर वादिनी का नाम गुणावगुण पर सही किया जाता है तो कोई एजराज नहीं है इससे किसी प्रकार का राजहित प्रभावित नही होता है। प्रतिवादी की और से वाद का विरोध नही होने से तनकियात कायम नहीं की गई। अधिवक्ता वादी साक्ष्य नहीं करवाना चाहते है। पत्रावली बहस में रखी गयी।

अधिवक्ता वादिनी एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन, चिन्तन एवं मनन करने पर पाया गया कि जमाबंदी सम्वत 2077–2080 ग्राम श्रीशक्तिनगर पटवार हल्का कानसिंह की सिड तहसील बाप के खसरा नम्बर 1007/3 रकबा 9.9148 हैक्टेयर 1/2 हिस्सा स्थित है। वादिनी का नाम राजस्व रेकर्ड में सुनिल पुत्र खेताराम दर्ज है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों यथा परिचय पत्र, आधार कार्ड, नगर पालिका बाप द्वारा जारी प्रमाण–पत्र इत्यादि से साबित है कि वादिनी का नाम चन्दा देवी भूतड़ा पत्नी श्यामसुन्दर भूतड़ा है। वादिनी ने अपने वाद को साबित करने के लिए पर्याप्त दस्तावेजात एवं साक्ष्य सबूत पेश किये है। अतः वादिनी का वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

उपर्युक्त विवेचनानुसार वाद वादिनी स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है कि ग्राम श्रीशक्तिनगर पटवार हल्का कानसिंह की सिड तहसील बाप के खसरा नम्बर 1007/3 रकबा 9.9148 हैक्टेयर 1/2 हिस्सा भूमि में वादिनी के राजस्व रेकर्ड में गलत दर्ज नाम चन्द्रकला पत्नी श्यामसुन्दर के स्थान पर चन्दा देवी भूतड़ा पत्नी श्यामसुन्दर के नाम से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष प्रष्टियां यथावत रहेगी। तहसीलदार बाप माफिक आदेश राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद कर पालना करे। डिकी पर्चा अलग से मुर्तिब हो। मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.12.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(आदेश 21 नियम 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मुकाम बाप

बइजलास पीठासीन अधिकारी सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

1. चंदा देवी भूतड़ा पत्नी श्यामसुन्दर भूतड़ा जाति महेश्वरी निवासी बाप तह. बाप जिला फलोदी

वादी..........

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी (राज.)

प्रतिवादी.....

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मुकदमा संख्या :– 176/2024

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मेरे सुखाराम पिण्डेल पीठासीन अधिकारी व हाजिर राजेन्द्रसिंह सोंलकी मिनजानिब मुदई व पैरोकार सरकार मिनजानिब मुदायलहा पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि ग्राम श्रीशक्तिनगर पटवार हल्का कानसिंह की सिड तहसील बाप के खसरा नम्बर 1007/3 रकबा 9.9148 हैक्टेयर 1/2 हिस्सा भूमि में वादिनी के राजस्व रेकर्ड में गलत दर्ज नाम चन्द्रकला पत्नी श्यामसुन्दर के स्थान पर चन्दा देवी भूतड़ा पत्नी श्यामसुन्दर के नाम से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष प्रष्टियां यथावत रहेगी.। तहसीलदार बाप माफिक आदेश राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद कर पालना करे।नीचे

मुतालिक
खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर
वसूल याबी तक

बाबत्
फीस सदी सालाना आज की तारीख
को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 22.12.2024 को जारी की गई।

(सुखाराम पिण्डेल R.A.S.)
सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा वाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजान			मिजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्च यह हो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावे।